न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 186/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– अनोपाराम पुत्र बिरबलराम 2– मैनादेवी पत्नी सहीराम 3– बादूदेवी पत्नी लुम्बाराम जातियान विश्नोई निवासीगण आदर्श नगर, फलोदी, जिला जोधपुर		1– बंशीलाल पुत्र सुरजमल जाति छीपा निवासी लोहावट बिशनावास तहसील लोहावट, जिला जोधपुर के कायम मुकाम– 1.1–कमला पत्नी स्व0 बंशीलाल 1.2–गोपाल पुत्र स्व0 बंशीलाल 1.3–कैलाश पुत्र स्व0 बंशीलाल जाति छीपा निवासीगण ग्राम लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट जिला जोधपुर 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट 3– दिनेश कुमार पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी चिकनी नाडी, दयाकौर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 196/2013 अनवान बंशीलाल बनाम अनोपाराम वगैरा मे दिनांक 28–6–2016 को पारित किया तथा तहसीलदार लोहावट के आदेश कमांक /भू.अ/पत्थरगढी/2017/ 412–415 दिनांक 11–4–2017 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1.1 से 1.3 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
4– श्री रोशन लाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 बंशीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम लोहावट बिशनावास के खसरा नंबर 141 रकबा 09 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नबर 142 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कुल 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसमे प्रार्थी का नलकूप लगा हुआ है । प्रार्थी की उक्त खातेदारी खेत के खसरो की पैमाईश करवाने एवं अन्य निर्माण आदि कार्य करने मे अप्रार्थी संख्या 1 बाधा उत्पन्न करता है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध डिक्री पारित करने का निवेदन किया ।

अति॰ सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

.जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फलोदी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2016 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी की उक्त खातेदारी भूमि ग्राम लोहावट बिशनावास के खसरा नंबर 141 रकबा 09 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नबर 142 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कुल 22 बीघा 11 बिस्वा के सबंध मे तहसीलदार लोहावट को आदेश पारित किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर वादी को पत्थरगढी कराई जावें तत्पश्चात वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे दखल अंदाजी नही करे व न ही किसी से करावें ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैमाईश एवं पत्थरगढी के संबंध मे पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 28–6–2016 से व्यथित होकर वर्तमान अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विवादग्रस्त भूमि के उपरोक्त खसरान के पडौसी खातेदारान एवं अन्य सहखातेदारो को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलांटगण खसरा नंबर 147 के रेकर्डेड खातेदार है तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटगण की गैर मौजुदगी मे तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये पैमाईश एवं पत्थरगढी के आदेश हासिल किया है इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विवादित भूमि के खसरा नंबरान की सभी पक्षकारो की मौजुदगी मे निर्विवादित पैमाईश रिपोर्ट आने के उपरांत ही धारा 128 के तहत पत्थरगढी का आदेश पारित किया जा सकता है जबकि वर्तमान प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर कोई पैमाईश रिपोर्ट उपलब्ध ही नही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस ईमदाद के साथ पत्थरगढी करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के बारे मे जैसे ही जानकारी हुई उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील स्वीकार की जाये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वर्तमान अपील मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का

के अधिवक्ता को सुनकर आदेशिका दिनांक 23–5–2022 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनेशकुमार को इस अपील मे रेस्पो0 बनाये जाने का आदेश पारित किया गया । जिस पर दिनेश कुमार पुत्र बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी चिकनी नाडी, दयाकौर को रेस्पो0 संख्या 3 बनाया गया ।

रेस्पो0 संख्या 1 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुती मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मुकदमा संख्या 196/2013 मे पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 एवं तहसीलदार लोहावट के आदेश कमांक भू.अ/पत्थरगढी/2017/412–415 दिनांक 11–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । जिसमे एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 18–9–2019 को पारित करवाकर उपखण्ड अधिकारी फलोदी के निर्णय दिनांक 28–6–2016 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करते हुए अपीलाधीन भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश प्राप्त कर लिया जिससे मेरी खातेदारी के खसरा नंबर 141 व 142 पर भी स्थगन ले रखा है। वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि पत्थरगढी का आदेश डिक्री मे मर्ज हो गया तथा अपीलांट ने डिक्री के आदेश की अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय जोधपुर मे कर रखी है ।

वकील रेस्पो0गण संख्या 1 व 3 ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के मुकदमा संख्या 196/2013 मे पारित आदेश दिनांक 28–6–2016 की प्रमाणित अथवा अप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नही की है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्यायिक आदेश की श्रेणी मे नही होकर प्रशासनिक श्रेणी का आदेश है जिसकी अपील नही हो सकती है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 1 वर्तमान अपीलांट के विरूद्ध डिक्री पारित करने का निवेदन किया था जिस पर पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही होनी चाहिये थी बल्कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये थी इसलिए अपीलांट ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28–6–2016 की प्रमाणित अथवा अप्रमाणित प्रति पेश नही की जिससे अपील की सुनवाई के क्षेत्राधिकार की जानकारी नही हो सकें इसलिए अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सुनवाई के क्षेत्राधिकार पर ही खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि उक्त अपील के रेस्पो0 संख्या 1 बंशीलाल का देहांत वर्ष 2018 मे ही हो चुका था परंतु अपीलांट की ओर से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने बाबत कोई कार्यवाही नही की जबकि एक अन्य प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी जोधपर मे लंबित है

अति० सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

जिसमे एक वर्ष पूर्व ही कायम मुकाम की कार्यवाही कर दी गई परंतु वर्तमान अपील मे कोई कार्यवाही नही की है फिर भी हम बंशीलाल के कायम मुकाम की हैसियत से इस अपील कार्यवाही मे हिस्सा लेना चाहते है अतः बंशीलाल के का0मुकाम को इस अपील मे रेस्पो0 बनाया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद अपीलांट अधिवक्ता ने दिनांक 15–2–2021 को बंशीलाल के नाम कायमी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके साथ कोई धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया इसलिए अपीलांट की उक्त अपील अदम पैरवी मे खारीज की जानी चाहिये थी ।

अंत मे वकील रेस्पो0गण ने अपीलांट की उक्त अपील को सुनवाई क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर, नॉन कम्पलेन्स के आधार पर तथा सही तथ्य प्रकट किये बिना अपील प्रस्तुत करने के आधार पर खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0गण के अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद प्रस्तुत किया था जिसमे धारा 111 व 128 एल आर.एक्ट का कोई प्रार्थना पत्र या प्रेयर नही थी फिर भी कोर्ट ने प्रेयर से अधिक स्वविवेक से पैमाईश व पत्थरगढी के आदेश पारित कर दिये जबकि प्लेन्ट या प्रार्थना से हटकर किसी प्रकार का आदेश पारित किया ही नही जा सकता है तथा उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार लोहावट ने दिनांक 11–4–2017 को एक और आदेश पारित कर दिया । वकील अपीलांट ने जवाब मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–6–2016 मे वादी का वाद स्वीकार करते हुए इस प्रकार आदेश पारित किया कि "वादी के खातेदारी भूमि ग्राम लोहावट बिशनावास के खसरा नंबर 141 रकबा 09 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नबर 142 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कुल 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध मे तहसीलदार लोहावट को आदेश पारित किये गये कि उक्त वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर वादी को पत्थरगढी कराई जावे ।" तत्पश्चात वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे दखल अंदाजी नही करे व न ही किसी से करावें ।

वकील अपीलांट ने जवाब मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही मे जो पैमाईश एवं पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया है, उसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकारी की होने से इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है तथा वाद मे पारित स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के विरूद्ध अन्य अपील राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमे भी रेस्पो0 पक्षकार है

इसके अलावा रेस्पो0 संख्या 1 बंशीलाल के का0मु0 को समय पर रेकर्ड पर नही लेने बाबत रेस्पो0 अधिवक्ता की कोई लिखित मे आपत्ति नही होने से मेरे द्वारा कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने बाबत की गई कार्यवाही को सही माना जावें । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–6–2016 की पालना मे तहसीलदार को निर्देश प्रदान किया जाये कि अपीलांट एवं रेस्पो0 सभी के खसरा नंबर की पैमाईश एवं पत्थरगढी बाबत नये सिरे से आदेश पारित किये जायें ।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–6–2016 मे पैमाईश एवं पत्थरगढी के संबंध मे जो आदेश पारित किये गये है तो उक्त आदेश की अपील के सुनवाई का अधिकार इसी न्यायालय को होने से उक्त अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की है जो सही है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2016 का भी अवलोकन किया । वर्तमान अपील मे अपीलांट एवं रेस्पो0गण के अधिवक्ताओं की बहस के दौरान प्रकट किये गये तथ्यो अनुसार अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी मे वादी (वर्तमान अपील के रेस्पो0 बंशीलाल) द्वारा प्रस्तुत दावा मे वादी द्वारा सीमांकन/पत्थरगढी बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया था इसके बावजुद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–6–2016 मे प्रार्थना से हटकर "वादी के खातेदारी भूमि ग्राम लोहावट बिशनावास के खसरा नंबर 141 रकबा 09 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नबर 142 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा कुल 22 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध मे तहसीलदार लोहावट को उक्त वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर वादी को पत्थरगढी कराई जाने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही था तथा उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार लोहावट द्वारा आदेश कमांक /भू.अ/पत्थरगढी/2017/ 412–415 दिनांक 11–4–2017 के द्वारा जो पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया है, उक्त दोनो आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होते है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण को राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार अभियान 2016 मे रखा गया तथा लोक अदालत की भावना के विपरीत केवल वादी की उपस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैमाईश कर पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही है ।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

... उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर

दिनांक 28–6–2016 मे पैमाईश एवं पत्थरगढी संबंधी आदेश के क्रम मे हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपील के रेस्पो0गण द्वारा आवेदन करने पर नए सिरे से पत्थरगढी का प्रकरण भू राजस्व अधिनियम के सुसंगत प्रावधानो के तहत दर्ज कर दोनो पक्षो की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए दोनो पक्षकारान की उपस्थिति मे विधिवत पैमाईश एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करें । उक्तानुसार विधिवत पैमाईश व पत्थरगढी की कार्यवाही होने तक अपील मे वर्णित खसरा नंबर 141, 142 व 147 ग्राम लोहावट विशनावास के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखी जावें तथा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जावें । उक्त निर्देशो के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर